



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221669
CG-DL-E-11092020-221669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2751]
No. 2751]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

का.आ. 3098(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516इ (कोयूरु से पडेरु खंड) के निर्माण (चौड़ीकरण / चार लेन में उन्नयन आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516इ (कोयूरु से पड़ेरु खंड) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब कलेक्टर नरसीपटनम विशाखापटनम डिस्ट्रिक्ट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH516E के कि.मी. 120 से 253.43 तक	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	गोलुगुंडा	1 चिडिकडा
						2 कृष्णदेवीपेट
						3 लक्ष्मीपुर

[फा. सं. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2020

S.O. 3098(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four-laning etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No. 516E (Koyyuru - Paderu Section) in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No.516E (Koyyuru - Paderu Section)
in the State of ANDHRA PRADESH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Sub-Collector Narsipatnam, Visakhapatnam District	120 KM To 253.43 KM	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATANAM	Golugunda	<table><tr><td>1</td><td>Chidikada</td></tr><tr><td>2</td><td>Krishnadevipetta</td></tr><tr><td>3</td><td>Lakshmipur</td></tr></table>	1	Chidikada	2	Krishnadevipetta	3	Lakshmipur
1	Chidikada											
2	Krishnadevipetta											
3	Lakshmipur											

[F. No. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.